

जायत्री देवी - अंबाला 13/2009

दिनांक	आज्ञा पत्र
--------	------------

4-10-17

पञ्जाब हाईकोर्ट, अंबाला उपसिविल
 पीठ में
 पर है। अतः पञ्जाब हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 23/11/17
 को फेब्रुवरी

23/11/17

पञ्जाब हाईकोर्ट, अंबाला उपसिविल
 पीठ में
 पर है। अतः पञ्जाब हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 15/1/18
 को फेब्रुवरी

15-1-18

पञ्जाब हाईकोर्ट, अंबाला उपसिविल
 पीठ में
 पर है। अतः पञ्जाब हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 15-2-18
 को फेब्रुवरी

15-2-18

पञ्जाब हाईकोर्ट, अंबाला उपसिविल
 पीठ में
 पर है। अतः पञ्जाब हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 4-5-18
 को फेब्रुवरी

4-5-18

पञ्जाब हाईकोर्ट, अंबाला उपसिविल
 पीठ में
 पर है। अतः पञ्जाब हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 19-7-18
 को फेब्रुवरी

19-7-18

बार - बार कावाज दिलाई गई।
 अपीलेंट एवं अपीलेंट के वकील
 कोर्ट हाजिर नहीं आए। अतः
 कदम हाजरी एवं कदम फेरवा
 साबित होने से अपील रोकिए
 की जाती है। पञ्जाब हाईकोर्ट
 तबलीख तकमील दारवल दफ्तर
 है। निर्वास बुकामा काया।



पञ्जाब हाईकोर्ट अंबाला उपसिविल
 पीठ में
 पर है। अतः पञ्जाब हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 19-7-18
 को फेब्रुवरी